भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. 159**
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

**विषयः- कृषि आदानों की बढ़ती लागत**

*__159. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः__

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कुछ ही क्षेत्रों और कुछ ही फसलों तक सीमित है जिससे अधिकांश किसान प्रभावी समर्थन मूल्य से वंचित रह जाते हैं;

(ख) उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की बढ़ती लागत, जिससे कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता कम हो रही है, की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) साक्ष्य-आधारित आकलन क्या हैं जो हाल ही में किए गए कृषि विपणन सुधारों का समर्थन करते हैं और इनसे किसानों को अपनी उपज का मूल्य प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिली है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**"कृषि आदानों की बढ़ती लागत" के संदर्भ में लोक सभा में 10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 159 के भाग (क) से (ग) तक के संबंध में उललिखित विवरण।**

(क): भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष दोनों फसल सीजनों में उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाली 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए भी एमएसपी क्रमशः रेपसीड एवं सरसों तथा कोपरा के एमएसपी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने और एमएसपी के संदर्भ में उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मुनाफा निर्धारित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल मूल्य, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। सरकार अपनी विभिन्न हस्तक्षेप संबंधी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, समग्र बाजार एमएसपी की घोषणा और सरकार के खरीद कार्यों से भी प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी के समतुल्य या उससे अधिक कीमत पर निजी खरीद होती है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। ये एजेंसियां निर्धारित अवधि के भीतर और निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप किसानों द्वारा बाजार में लाए गए अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें एफसीआई के परामर्श से विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज और मक्का की खरीद करती हैं, ताकि संबंधित राज्य सरकार इनका उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए कर सके।

जब कभी दलहन, तिलहन और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है, तब संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाती है। पीएम-आशा के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किसी विशेष तिलहन फसल के लिए पूरे राज्य में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) या भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) में से किसी एक के चयन करने का विकल्प दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से उनकी पेशकश के अनुसार तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की जानी है। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जानी है। यदि किसानों को अधिसूचित एमएसपी से बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख): वर्ष 2018 से यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्थिर है। इसी प्रकार, डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का एमआरपी विगत तीन वर्षों यथा वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक स्थिर रहा है। यूरिया पर वास्तविक व्यय प्राकृतिक गैस और यूरिया उत्पादन में प्रयुक्त अन्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और यूरिया के अंतरराष्ट्रीय आयात मूल्यों के साथ बदलता रहता है। तथापि, कीमतों को स्थिर रखने के लिए, भारत सरकार यूरिया और फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक (पी एंड के) उर्वरकों दोनों पर सब्सिडी वहन कर रही है।

सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसियों को बीज संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इन गतिविधियों में ब्रीडर सीड्स की खरीद, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण, बीज इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय बीज भंडार और दलहन तथा पोषक अनाजों की नई उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी) के मिनीकिट का निःशुल्क वितरण शामिल है। इन उपायों से उत्पादकता में वृद्धि होती है और खेती की लागत कम होती है। किसानों को लाभकारी मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है।

कीटनाशी का मूल्य निर्धारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के अंतर्गत नहीं आता है। यद्यपि, किसानों को किफायती कीटनाशी उपलब्ध कराने के लिए, पंजीकरण समिति (आरसी) धारा 9(4) की 'मी-टू' श्रेणी के तहत कीटनाशी का पंजीकरण भी करती है।

(ग): एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्य का विषय है। तथापि, किसानों को प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य दिलाने, इनकी बाजार पहुंच में सुधार करने, प्रतिस्पर्धी मार्केटिंग इकोसिस्टम निर्मित करने और फसलोपरांत प्रबंधन और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करती है।

*****